Schedule XLII-High Court (J) 19[old

**<u>अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ बिहार</u>**

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 27 / 23 सी.आई.एस.क्र.– 27 / 23

दिलिप कुमार सिंह एवं अन्य बनाम श्रीमति मीना देवी एवं अन्य

| Order date | Order with signature of the Court | Office action taken |
|---|---|---|
| 27/03/25 | वादीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। प्रतिवादी की कोई पैरवी नहीं है। यह वाद प्रतिवादी संख्या 1, 9 एवं 24 की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 16.08.24 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर प्रतिवादी संख्या 1, 9 एवं 24 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि उक्त प्रतिवादीगण के द्वारा दस्तावेज उपलब्ध न होने से नियत समय के भीतर लिखित कथन को प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। जिसकारण से विनम्र निवेदन है कि विलम्भ को माफ करते हुए उक्त प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 16.08.24 को प्रस्तुत लिखित कथन को ग्रहण करने की कृपा की जाए।<br>वादीगण की ओर से उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर समर्पित किया गया है कि प्रतिवादीगण के द्वारा जान–बूझकर विलम्भ से यह लिखित कथन प्रस्तुत किया गया है। जिस कारण से उक्त प्रतिवादीगण का लिखित कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।<br>उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 1, 9 एवं 24 दिनांक 01.04.24 को ही इस वाद में उपस्थित हुए है परंतु उनके द्वारा दिनांक 16.08.24 को विलम्भ से लिखित कथन प्रस्तुत किया गया है। वाद के प्रभावी एवं न्यायापूर्ण निराकरण के लिए उभय पक्ष के अभिवचन को अभिलेख पर लाया जाना न्याय संगत है। अतः वादी की असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए 500 रूपये खर्च पर इस आवेदन को स्वीकृत कर लिखित कथन को ग्रहण किया जाता है। खर्चा वादी को देय होगा।<br>वाद आगामी दिनांक 22.04.25 सुलहवार्ता हेतु नियत।<br><br>हस्ताक्षर<br><br>अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि<br>बनमनखी | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |